
भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी: भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका का विश्लेषण**¹डॉ. नवनीत कुमार वर्मा**¹प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, सिवाना**²जयप्रकाश अटल**²वरिष्ठ अध्यापक, राजनीतिक विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर**सारांश**

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक मौलिक कार्य थी, खासकर इतने अभूतपूर्व पैमाने और जटिलता वाले राष्ट्र के लिए। 1950 में अपना संविधान अपनाने पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने ईसीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए समर्पित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में बनाया। 1951-52 में पहले आम चुनावों के सफल आयोजन ने भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया, यह पुष्टि करते हुए कि सार्वभौमिक मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता द्वारा गारंटीकृत समान प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अत्यधिक बहुलवादी समाज में भी व्यवहार्य थी, जिसमें विभिन्न जाति, धार्मिक और लैंगिक जनसांख्यिकी शामिल थी।

मूल शब्द : भारत निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र, संवैधानिक प्राधिकरण, निष्पक्ष चुनाव ।

Corresponding author¹प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, email- drnavneetverma@gmail.com²वरिष्ठ अध्यापक, राजनीतिक विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर email- ataljaiprakash@gmail.com**भूमिका**

ईसीआई का जनादेश केवल प्रशासनिक कर्तव्यों से कहीं अधिक है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (लोकसभा और राज्यसभा), और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का प्रबंधन करता है। इस विशाल जिम्मेदारी के लिए ईसीआई को राजनीतिक हेरफेर जैसी गड़बड़ियां रोकने और अंतिम परिणामों में

सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सत्तारूढ़ सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। इस प्रारंभिक संस्थागत डिजाइन ने यह सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप को बेअसर करने में सक्षम एक स्वायत्त, विशिष्ट निकाय की आवश्यकता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की दृढ़ता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ईसीआई की संवैधानिक और कानूनी संरचना

1. अनुच्छेद 324 में नींव: पूर्ण शक्ति का सिद्धांत

ईसीआई का संवैधानिक अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है, जो आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और चुनावों के पूरे संचालन पर 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' की शक्ति प्रदान करता है। यह व्यापक, या पूर्ण, शक्ति ईसीआई के मूलभूत जनादेश के रूप में कार्य करती है, जिससे यह ऐसे स्थानों पर भी काम करने में सक्षम होता है जहां विशिष्ट वैधानिक कानून मौन या अपर्याप्त हो सकता है। नियामक अंतराल को भरने की यह क्षमता 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के मूल लोकतांत्रिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, यहां तक कि अप्रत्याशित राजनीतिक वातावरण में भी।

इस स्वायत्तता की रक्षा के लिए डिजाइन की गई संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों का नेतृत्व शामिल है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के समान एक कठोर संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। यह कड़ा निष्कासन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ईसीआई प्रभावी रूप से दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक दबावों से अलग रहे, जिससे वह कार्यकारी प्रतिशोध के डर के बिना अपने जनादेश को निष्पादित कर सके।

इस संवैधानिक ढाल की स्थापना चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। व्यापक 'अधीक्षण' शक्ति पर निर्भरता अक्सर ईसीआई को महत्वपूर्ण नियामक उपायों को शुरू करने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), जिसमें प्रत्यक्ष वैधानिक समर्थन की कमी हो सकती है। यह आवश्यकता संभावित विधायी जड़ता के बावजूद लोकतंत्र को मजबूत करने में ईसीआई की सक्रिय भूमिका को उजागर करती है, फिर भी यह आयोग को अपनी गैर-विधायी शक्तियों की सटीक सीमा के संबंध में निरंतर राजनीतिक और न्यायिक विवादों के लिए भी उजागर करती है।

2. वैधानिक ढाँचा: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी.ए., 1950 और 1951)

संवैधानिक जनादेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 1951 का आरपीए, जिसे पहले आम चुनाव से पहले अनुच्छेद 327 के तहत अनंतिम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, चुनावों के व्यावहारिक संचालन को नियंत्रित करता है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता (जैसे, धारा 9(ए) के तहत प्लाभ का पद धारण करने का निषेध), भ्रष्ट आचरणों को परिभाषित करता है, और चुनावी विवादों को सुलझाने के लिए ढाँचा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, चुनाव जीतने के दौरान लाभ का पद धारण करने वाला उम्मीदवार संभावित अयोग्यता के अधीन है।

इसके पूरक के रूप में, 1950 का आरपीए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सीटों के आवंटन (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनिवार्य आरक्षण सहित), मतदाता सूची की तैयारी, और मतदाताओं के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यताओं के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। इसके अलावा, ईसीआई के पास मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे विशिष्ट राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करने की शक्ति है। इन वैधानिक जिम्मेदारियों का सफल निष्पादन ईसीआई की राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे कि राज्य सरकार के परामर्श से, एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को नामित करना।

3. अर्ध-न्यायिक भूमिका और विवाद समाधान

ईसीआई का अधिकार इसके अंतर्निहित अर्ध-न्यायिक कार्यों से और मजबूत होता है। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी गई मान्यता से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सशक्त है। व्यवहार में, यह चुनाव चिहनों के आवंटन से संबंधित मामलों के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दो प्रतीकों का उपयोग एक ही नहीं हो, भले ही वे विभिन्न क्षेत्रों में हों। यह कार्य विशेष रूप से मान्यता प्राप्त पार्टियों के भीतर आंतरिक संघर्षों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां ईसीआई विभाजित समूहों के बीच विवादों का निपटारा करता है।

पार्टी मान्यता से परे, ईसीआई एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति रखकर उम्मीदवार की जवाबदेही को लागू करता है जो कानूनी रूप से निर्धारित समय और तरीके के भीतर अपने चुनावी खर्चों का

एक सच्चा और सटीक खाता दर्ज करने में विफल रहता है। जबकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोगों की देखरेख में आते हैं, ईसीआई अभी भी इन राज्य निकायों को सलाहकार की भूमिका निभाता है।

4. नियामक प्रवर्तन: निष्पक्षता और नैतिकता को बनाए रखना

(अ) नैतिक आचरण का प्रवर्तन: आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) चुनावों के दौरान नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के सबसे अधिक दिखाई देने वाले उपकरणों में से एक है। एमसीसी, राजनीतिक दलों के साथ सहमति के माध्यम से विकसित दिशानिर्देशों का एक सेट है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। इसका इतिहास 1960 में केरल विधानसभा चुनावों में जाता है और 1962 तक इसे राष्ट्रव्यापी अपनाया गया था। बार-बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार की घटनाओं के बाद, ईसीआई ने 1991 में एमसीसी का कड़ाई से प्रवर्तन शुरू किया।

एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही तुरंत लागू हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक सक्रिय रहती है। इसमें सात खंड शामिल हैं जो सामान्य आचरण, बैठकों, जुलूसों, सत्ता में पार्टी, मतदान के दिन और चुनाव घोषणापत्रों को कवर करते हैं। विशेष रूप से, सामान्य आचरण अनुभाग धर्म के आधार पर भेदभाव या संदर्भों को प्रतिबंधित करता है, और उम्मीदवारों की उनके व्यक्तिगत निजी जीवन या निराधार आरोपों के आधार पर आलोचना को रोकता है। यह रिश्तखोरी, धमकी और प्रतिरूपण जैसी अवैध गतिविधियों को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को शांतिपूर्ण मतदान और मतदाताओं को बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है।

1994 में, तत्कालीन कल्याण मंत्री सीताराम केसरी ने चुनाव के दौरान पिछड़ों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। शेषन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने वाली कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकती।

2012 के उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान, ईसीआई ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे आधिकारिक दौरों को चुनावी रैलियों के साथ नहीं जोड़ सकते। सरकारी नीली बत्ती वाली गाड़ियों और सायरन पर प्रतिबंध इसका प्रत्यक्ष परिणाम है।

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स हटा दिए जाते हैं। 2019 और 2024 के चुनावों में, आयोग ने 'विकसित भारत' संकल्प यात्रा और अन्य विज्ञापनों को चुनाव के दौरान रोकने के निर्देश दिए थे।

निर्वाचन आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के कारण योगी आदित्यनाथ (72 घंटे), मायावती (48 घंटे), मेनका गांधी और आजम खान पर प्रचार करने के लिए कुछ दिनों का प्रतिबंध लगा दिया था। यह डब्लू की उस शक्ति को दर्शाता है जहाँ आयोग किसी भी बड़े कद के नेता को चुप करा सकता है।

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण ईसीआई ने 'फेसबुक और 'एक्स (ट्विटर) को भी MCC के दायरे में लिया है, ताकि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले पोस्ट हटाए जा सकें।

MCC केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, यह अवैध धन और शराब की आवाजाही पर भी नज़र रखता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई, 2024 के चुनावों में ₹8,000 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई। यह 'फ्लाइंग स्क्वायड" और 'स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा किया जाता है, जो MCC लागू होते ही सक्रिय हो जाती हैं।

(ब) राजनीतिक दल अनुपालन की निगरानी

ईसीआई राजनीतिक संस्थाओं की औपचारिक स्थिति को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति रखता है। प्रतीक आदेश, 1968 के अनुच्छेद 16ए के तहत, ईसीआई को एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेने का अधिकार है, यदि वह एमसीसी का पालन करने में विफल रहता है या आयोग द्वारा जारी अन्य वैध निर्देशों की अवहेलना करता है। मान्यता वापस लेने के परिणामस्वरूप आरक्षित प्रतीकों जैसे विशेषाधिकारों का नुकसान होता है, हालांकि पार्टी पंजीकृत रहती है और चुनाव लड़ने के लिए पात्र होती है। सितंबर 2022 में, चुनाव आयोग ने देश भर में 284 गैर-अनुपालनकारी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की।

हालांकि, ईसीआई को राजनीतिक क्षेत्र को साफ करने की अपनी क्षमता के संबंध में एक संरचनात्मक सीमा का सामना करना पड़ता है, एक चुनौती जो पार्टी नियंत्रण की विषमता के रूप में प्रकट होती है। सर्वाेच्च

न्यायालय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ओआरएस (2002) में फैसला सुनाया कि ईसीआई के पास आम तौर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को अपंजीकृत करने की शक्ति नहीं है। अपंजीकरण, जो एक पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकता है, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही संभव है। यदि पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, यदि पार्टी को केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, या यदि यह भारतीय संविधान का पालन करना बंद कर देती है। इस न्यायिक सीमा का मतलब यह है कि जबकि ईसीआई एमसीसी के माध्यम से अस्थायी दुर्व्यवहार को दंडित कर सकता है और विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है (मान्यता रद्द करना), यह गैर-अनुपालनकारी या 'गैर-मौजूद' पार्टियों से आंतरिक क्षय के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने की इसकी दीर्घकालिक क्षमता को कमजोर करता है।

(स) वित्तीय पारदर्शिता: व्यय निगरानी और सीमाएँ

चुनाव व्यय की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है कि धन चुनावी परिणामों को असंगत रूप से प्रभावित न करे। ईसीआई सभी उम्मीदवारों को परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) को अपने खर्चों का एक पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने और जमा करने की आवश्यकता है।

आयोग इस निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से ENCORE प्रणाली का उपयोग करता है। यह ऑनलाइन एप्लिकेशन सार्वजनिक बैठकों, पोस्टरों, बैनरों और वाहन के उपयोग से संबंधित उम्मीदवार के खर्चों को कैप्चर करता है। यह प्रणाली राजनीतिक दलों से प्राप्त धन को भी ट्रैक करती है और डैशबोर्ड पर कम बताए गए खातों को चिह्नित करती है, जो अभियान निधि के प्रवाह और बहिर्वाह के लिए एक ऑडिट ट्रेल प्रदान करती है।

उम्मीदवार व्यय की निगरानी के लिए लागू किए गए कठोरता के बावजूद, व्यापक चुनावी वित्त पोषण प्रणाली महत्वपूर्ण वित्तीय जवाबदेही अंतराल से ग्रस्त है। उम्मीदवारों और ईसीआई द्वारा प्रलेखित व्यय के आंकड़े, प्रणाली में संचालित बेहिसाब धन की व्यापकता को देखते हुए, शिक्षित अनुमान माने जाने चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि चुनाव खर्चों के संबंध में राजनीतिक दलों को अपने खातों को बनाए रखने और ऑडिट करने की आवश्यकता वाले नियमों के कमजोर प्रवर्तन के कारण पारदर्शिता की स्पष्ट कमी है। इस संरचनात्मक कमी का मतलब है कि ईसीआई व्यक्तिगत उम्मीदवार के वित्तीय अनुपालन पर

ध्यान केंद्रित करता है, भ्रष्टाचार अक्सर अपना संस्थागत रूप बदल लेता है, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक दल वितीय प्रकटीकरण के संबंध में विधायी सुधारों की मांग होती है।

जब्त का रिकॉर्ड - 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, निर्वाचन आयोग ने रिकॉर्ड ₹8,889 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त कीं। यह 2019 की तुलना में काफी अधिक है (2019 में यह आंकड़ा लगभग ₹3,475 करोड़ था)।

अघोषित आय का स्रोत - ADR ¼Association for Democratic Reforms½ की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों की कुल आय का लगभग 60-70 प्रतिशत हिस्सा अक्सर 'अज्ञात स्रोतों' (न्दादवूद ैवन्तबमे) से आता है, जो पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करता है।

उम्मीदवारों का खर्च बनाम वास्तविक खर्च - सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुमान के अनुसार, 2019 के चुनावों में कुल खर्च लगभग ₹60,000 करोड़ (\$8.6 इपससपवद) हुआ था, जो आधिकारिक रूप से घोषित आंकड़ों से कहीं अधिक है।

5. तकनीकी विकास और चुनावी पारदर्शिता

(अ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की ओर बदलाव

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की शुरुआत ने भारतीय चुनावी प्रबंधन में एक प्रतिमान बदलाव को चिह्नित किया। राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स) द्वारा विकसित, ईवीएम अब चुनाव आयोजित करने का मानक साधन हैं। तकनीकी संक्रमण ने पारंपरिक कागज मतपत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया, जो महंगे थे, गिनने में समय लेने वाले थे, और पूर्व-भरे नकली मतपत्रों के साथ मतपेटियों को भरने जैसे धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील थे। ईवीएम ने लागत को काफी कम कर दिया और तेजी से परिणाम घोषणा को सक्षम किया।

ईवीएम की अखंडता को विशिष्ट डिज़ाइन सुविधाओं के माध्यम से बनाए रखा जाता है, वे स्टैंड-अलोन, स्व-निहित और बैटरी-संचालित मशीनें हैं जो: एक बार लिखें केवल पढ़ें' मेमोरी का उपयोग करती हैं। महत्वपूर्ण रूप से, बाहरी हेरफेर के जोखिम को कम करने के लिए उनमें कोई नेटवर्किंग क्षमता, न तो वायर्ड और न ही वायरलेस कनेक्शन की कमी है।

(ब) विश्वसनीयता सुनिश्चित करना: वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT

ईवीएम की अंतर्निहित सुरक्षा के बावजूद, सार्वजनिक विश्वास एक चुनौती बना रहा, जिसके लिए आगे तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी। 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, ईसीआई ने वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) प्रणाली विकसित और पेश की। ईवीएम के लिए यह लगाव मतदाता को एक मुद्रित कागज पर्ची प्रदान करता है, जिससे वे यह सत्यापित करने में सक्षम होते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक वोट सटीक रूप से दर्ज किया गया था या नहीं, जिससे एक 'पेपर ट्रेल' बनता है और मतदाता विश्वास बहाल होता है।

वीवीपैट प्रणाली मतदान तंत्र की सटीकता सुनिश्चित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता और लोकतांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतों की गणना के बाद, किसी भी संबंधित चुनाव याचिका के निपटान तक, वीवीपैट पर्चियों को एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सीलबंद लिफाफों में संरक्षित किया जाता है।

(स) न्यायिक जांच और प्रणाली सत्यापन (2024 का निर्णय)

2024 के आम चुनावों के दौरान प्रौद्योगिकी की अखंडता एक केंद्र बिंदु बन गई, जिससे गहन न्यायिक जांच हुई। अप्रैल 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को बरकरार रखा, कागज मतपत्रों को पुनर्जीवित करने या ईवीएम-वीवीपैट गणना के 100 प्रतिषत क्रॉस-सत्यापन को अनिवार्य करने की याचिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक संस्था या प्रणाली के 'अंधे अविश्वास' को बढ़ावा देना अनुचित संदेह को बढ़ावा देता है और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने एक साथ विशिष्ट निर्देशों के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत किया। इसने आदेश दिया कि उम्मीदवार किसी भी दिए गए विधानसभा खंड के 5 प्रतिषत ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट सहित) के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं। यह सत्यापन परिणाम घोषणा के सात दिनों के भीतर उम्मीदवार के लिखित अनुरोध पर विनिर्माण कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा किया जाना चाहिए। जबकि उम्मीदवार शुरू में लागत वहन करता है, यदि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो ये खर्च पूरी तरह से वापस कर दिए जाते हैं।

यह न्यायिक हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करता है, प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक विश्वास को सुरक्षित करने के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त के रूप में कार्य करती है। ईवीएम वस्तुनिष्ठ रूप से दक्षता और कम धोखाधड़ी प्रदान करते हैं, लेकिन सत्यापन प्रक्रियाओं को अनिवार्य करने और परिष्कृत करने के लिए न्यायपालिका की निरंतर आवश्यकता दर्शाती है कि सार्वजनिक विश्वास के लिए केवल तकनीकी आश्वासन से अधिक की आवश्यकता है। इसलिए ईसीआई की भूमिका प्रणाली की कथित वैधता की सक्रिय रूप से रक्षा करने के लिए विस्तारित होती है, कुल लेखापरीक्षा की मांगों को परिचालन स्थिरता के साथ संतुलित करती है और तुच्छ चुनौतियों को रोकती है।

(द) गलत सूचना का मुकाबला करना और अखंडता बनाए रखना

डिजिटल युग में, ईसीआई की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गलत सूचना का मुकाबला करना है जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करती है। ईसीआई चुनाव से संबंधित घटनाओं को स्पष्ट करने और फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करने के लिए सक्रिय संचार चैनल बनाए रखता है, जैसे कि वीवीपैट पंचियों के विनाश के बारे में निराधार दावे या वोट गिनती में विसंगतियों के आरोप। उदाहरण के लिए, जब पोस्टों में एक निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त वोट डाले जाने का आरोप लगाया गया या ईवीएम/वीवीपैट में कार्यात्मक बेमेल होने का दावा किया गया, तो ईसीआई और राज्य सीईओ ने सोशल मीडिया और प्रेस हैंडल के माध्यम से आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किए, वास्तविक समय में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया।

6. ईसीआई की स्वायत्तता और मतदाता अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियाँ

(अ) स्वायत्तता और संस्थागत विश्वसनीयता के लिए चुनौतियाँ

अपनी संवैधानिक स्वायत्तता के बावजूद, ईसीआई लगातार ऐसी चुनौतियों का सामना करता है जो इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की क्षमता का परीक्षण करती हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप एक लगातार कारक है जो सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मूल्यों का ह्रास और जटिल वर्तमान राजनीतिक स्थिति ईसीआई को निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने में आने वाली कठिनाई में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह धारणा कि आयोग राजनीतिक दबाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उद्धृत की जाती है।

(ब) मतदाता सूची अखंडता का संकट: प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया विफलता

मतदाता सूची प्रबंधन का प्रशासनिक कार्य, जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पात्र नागरिक पंजीकृत है, हाल ही में प्रमुख विवाद का स्रोत बन गया है। मतदाता सूची का निरंतर अद्यतन और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, जब इन अभ्यासों को नियत प्रक्रिया के कठोर पालन के बिना निष्पादित किया जाता है, तो वे संवैधानिक अधिकारों के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकते हैं।

इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण बिहार में हुआ, जहां 2025 के विधानसभा चुनावों से महीनों पहले शुरू किए गए एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास के दौरान लगभग 65 लाख मतदाताओं (कुल मतदाताओं का 6.62 प्रतिशत) को बड़े पैमाने पर हटा दिया गया था। आधिकारिक औचित्य मृत्यु, दोहराव, या प्रवासन का हवाला देते हैं। हालांकि, ये विलोपन कथित तौर पर पूर्व सूचना या प्रशासनिक सुनवाई के बिना किए गए थे, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के संबंध में गंभीर चिंताएं बढ़ गईं।

यह प्रकरण दर्शाता है कि कैसे एक प्रशासनिक कार्य, मतदाता सूची संशोधन एक साधारण त्रुटि से एक कथित 'संस्थागत कदाचार' में बढ़ सकता है जो मौलिक संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र को सीधे खतरे में डालता है। ईसीआई का शुरू में बाहर किए गए मतदाताओं की अलग सूची प्रकाशित करने से इनकार करना, नागरिक समाज की लगातार मांगों के बावजूद, जानबूझकर छिपाने के रूप में चित्रित किया गया था, जो कमजोर नागरिकों पर सबूत का बोझ डाल रहा था जो अक्सर अपनी पात्रता को फिर से सत्यापित करने के लिए संघर्ष करते थे। प्रशासनिक नियत प्रक्रिया का पालन करने में यह विफलता इस प्रक्रिया को तटस्थ प्रशासन से संवैधानिक मताधिकार से वंचित करने में बदल देती है। संवैधानिक वर्चस्व को संस्थागत गोपनीयता पर फिर से स्थापित करने के लिए न्यायपालिका का बाद का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया, यह तमपदवितबपदह करते हुए कि ईसीआई का जनादेश सभी प्रशासनिक सुविधा से ऊपर नागरिक के संवैधानिक मतदान के अधिकार की सेवा करना चाहिए।

7. न्यायिक निर्देश और आवश्यक चुनावी सुधार

(अ) पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाले ऐतिहासिक निर्णय

न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, चुनावी प्रक्रिया के सह-राज्यपाल के रूप में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि ईसीआई पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम संवैधानिक मानकों के भीतर कार्य करे।

बिहार मतदाता विलोपन विवाद पर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संस्थागत जवाबदेही को मजबूर करने में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में कार्य करता है। आदेश ने ईसीआई को लगभग 65 लाख विलोपन में से प्रत्येक के लिए स्पष्ट कारणों के साथ बूथ-वार विवरण प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य किया। इस जानकारी को ईपीआईसी नंबरों का उपयोग करके ऑनलाइन सुलभ बनाने और स्थानीय पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में भौतिक रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी, जिसके साथ व्यापक प्रचार भी किया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने नागरिकों को उनके विलोपन को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए आधार सहित व्यापक रूप से आयोजित आईडी प्रूफ को स्वीकार करने के लिए ईसीआई को मजबूर करके एक स्पष्ट खामी को बंद कर दिया। ये निर्देश मौलिक रूप से ईसीआई के पारदर्शिता दायित्वों को फिर से परिभाषित करते हैं, परिचालन मानक को आंतरिक ऑडिट से अनिवार्य सार्वजनिक जवाबदेही में स्थानांतरित करते हैं और जनसांख्यिकीय प्रथाओं को रोकने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करते हैं जो बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित कर सकते हैं।

इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार तकनीकी ढांचे को आकार दिया है, पहले 2013 में वीवीपैट को अनिवार्य करके, और फिर 2024 में उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट, ऑडिट करने योग्य सुरक्षा उपायों को पेश करते हुए प्रणाली को बरकरार रखा। आवर्ती न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता, चाहे पेपर ट्रेल को अनिवार्य करना हो, ईवीएम ऑडिट को परिष्कृत करना हो, या मतदाता विलोपन में पारदर्शिता को मजबूर करना हो, यह दर्शाता है कि जब ईसीआई के परिचालन निर्णय संवैधानिक अधिकारों पर आक्षेप करते हैं तो न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य करती है। जब ईसीआई को गैर-पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए माना जाता है, तो न्यायपालिका सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करती है, यह साबित करती है कि संवैधानिक शक्ति का संतुलन अंततः संभावित संस्थागत कदाचार के खिलाफ लोकतांत्रिक जाँच और संतुलन को मजबूत करता है।

(ब) प्रणालीगत सुधार के लिए विधि आयोग की सिफारिशें

न्यायिक आदेशों से परे, व्यापक प्रणालीगत सुधार के लिए अक्सर विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के नेतृत्व में विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट संख्या 255 (2015) में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को दंडित करने पर पहले के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद व्यापक चुनावी मुद्दों को संबोधित किया।

आयोग ने वित्तीय अखंडता और जवाबदेही बढ़ाने पर केंद्रित महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा। प्रमुख सिफारिशों में उम्मीदवार के व्यय की सीमाओं को संशोधित करना और व्यक्तिगत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों दोनों के लिए प्रकटीकरण दायित्वों को मजबूत करना शामिल था। ये विधायी सिफारिशें राजनीति के अपराधीकरण और अवैध वित्तीय पूंजी के प्रभाव जैसे गहरे बैठे मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक रोडमैप प्रदान करती हैं, ऐसे क्षेत्र जहां आरपीए के तहत ईसीआई की मौजूदा वैधानिक शक्तियां विशेष रूप से कमजोर हैं।

(स) ईसीआई का भविष्य का सुधार एजेंडा

ईसीआई ने स्वयं चुनावी प्रक्रिया में सुधार और सुव्यवस्थित करने की निरंतर आवश्यकता को पहचाना है। हाल की राजनीतिक पहल भविष्य के सुधार के लिए छह मुख्य स्तंभों को उजागर करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना, चुनावी प्रणालियों को मजबूत करना और साफ करना, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान में आसानी सुनिश्चित करना और हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण। चुनावी सूची की शुद्धता को आंतरिक रूप से प्राथमिकता देना नागरिक समाज और न्यायपालिका द्वारा सटीक और समावेशी मतदाता सूचियों को बनाए रखने के लिए लगाए गए बाहरी दबावों के आयोग के ज्ञान को प्रदर्शित करता है।

8. निष्कर्ष: संश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें

कोर लोकतांत्रिक संस्था के रूप में ईसीआई

भारत निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के अपरिहार्य प्रहरी के रूप में खड़ा है। अनुच्छेद 324 में संहिताबद्ध इसकी संवैधानिक स्वायत्तता ने इसे दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभ्यासों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति दी है, सफलतापूर्वक राष्ट्रीय दुःस्वप्नों और राजनीतिक अशांति को नेविगेट किया है। ईसीआई ने परिचालन आधुनिकीकरण को संचालित किया है, संवेदनशील कागज मतपत्रों से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में संक्रमण किया है, जबकि साथ ही आदर्श आचार संहिता के माध्यम से

कठोर आचरण नियमों को पेश किया है। आयोग की सफलता शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की अपनी क्षमता में निहित है।

चुनौतियों का संश्लेषण

ईसीआई की लोकतंत्र को और मजबूत करने की क्षमता को वर्तमान में बाधित करने वाली प्राथमिक चुनौतियाँ तकनीकी नहीं, बल्कि संरचनात्मक और राजनीतिक हैं। इनमें आयुक्तों की नियुक्ति में वास्तविक स्वायत्तता बनाए रखना, शक्तिशाली राजनीतिक दलों के खिलाफ वित्तीय पारदर्शिता लागू करना (जो वर्तमान में कठोर सार्वजनिक ऑडिट के बाहर काम करते हैं), और, महत्वपूर्ण रूप से, मतदाता सूची प्रबंधन जैसे प्रशासनिक कार्यों में प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना, एक कमजोरी जिसे हाल ही में न्यायपालिका द्वारा उजागर किया गया है। विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विधायी जड़ता अक्सर ईसीआई को अपनी पूर्ण शक्ति पर निर्भर करती है, जिससे नियामक अंतराल पैदा होते हैं जिसका राजनीतिक प्रतिष्ठान फायदा उठा सकता है।

बहु-स्तरीय नीतिगत सिफारिशें

ईसीआई के संवैधानिक जनादेश, इसकी परिचालन सफलताओं, और न्यायिक समीक्षा द्वारा उजागर की गई महत्वपूर्ण संरचनात्मक कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर, लोकतांत्रिक अखंडता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित हैं-

1. *नियुक्तियों में स्वायत्तता का संवैधानिक सुदृढीकरण* - ईसीआई को कार्यकारी प्रभाव से और अलग करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक बहु-सदस्यीय चयन समिति को अपनाने के लिए वैधानिक परिवर्तन आवश्यक हैं। इस समिति में कार्यपालिका (जैसे प्रधानमंत्री), विधायिका (जैसे विपक्ष के नेता), और न्यायपालिका (जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश) के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, जो पूरी तरह से कार्यपालिका पर निर्भर प्रणाली से दूर हो।
2. *अनिवार्य वैधानिक ऑडिट के माध्यम से वित्तीय अखंडता* - चुनावी वित्त से संबंधित विधि आयोग की रिपोर्ट 255 की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। कानून को सभी राजनीतिक दल खातों के कठोर, स्वतंत्र ऑडिटिंग और प्रकटीकरण को अनिवार्य करना चाहिए, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए स्पष्ट और

गंभीर वैधानिक दंड हों। यह कदम बेहिसाब धन के विशाल प्रवाह को संबोधित करने के लिए आवश्यक है जो चुनावी निष्पक्षता को विकृत करता है और पार्टी वित्त में पहचाने गए नियामक अंतराल को बंद करता है।

3. *मतदाता सूचियों में नियत प्रक्रिया का वैधानिक संहिताकरण* - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मतदाता विलोपन से संबंधित प्रक्रिया की कानूनी रूप से संहिताबद्ध करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। इस संशोधन को अनिवार्य पूर्व सूचना, प्रशासनिक सुनवाई, विलोपन के लिए बूथ-वार कारणों का स्पष्ट सार्वजनिक प्रकटीकरण, और बहिष्कार को चुनौती देने के लिए व्यापक रूप से आयोजित पहचान दस्तावेजों की एक विस्तृत श्रृंखला की स्वीकृति के लिए एक वैधानिक रूप से संरक्षित प्रक्रिया व एजेंसी को अधिकार के रूप में स्थापित करना चाहिए, जिससे कमजोर समूहों के मताधिकार से वंचित होने को रोका जा सके।

4. *पार्टी संरचना पर बड़ी हुई नियामक शक्ति* - ईसीआई को राजनीतिक दलों को अपंजीकृत करने के लिए स्पष्ट, वैधानिक रूप से परिभाषित, और न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि जो धोखाधड़ी से पंजीकृत पाए गए हैं, अपनी संवैधानिक निष्ठा का उल्लंघन किया है, या स्पष्ट रूप से परिचालन करने में असमर्थ है उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया है। यह कदम नियंत्रण की वर्तमान विषमता को संबोधित करेगा, जिससे ईसीआई को राजनीतिक परिदृश्य की आवश्यक संरचनात्मक सफाई करने की अनुमति मिलेगी, जिससे लोकतांत्रिक क्षेत्र की अखंडता को मजबूत किया जा सके।

संदर्भ सूची

कानूनी दस्तावेज़ और वैधानिक अधिनियम

भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण.

भारत सरकार (1951). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951.

भारत सरकार (1950). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950.

रिपोर्ट और दस्तावेज़

भारत का विधि आयोग (2015). रिपोर्ट संख्या 255: चुनावी सुधार.

प्रेस सूचना ब्यूरो, पीआईबी (2025, अगस्त 19). चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ईसीआई की पहल.

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (मार्च, 2019). इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें: सुरक्षा सुविधाएँ

न्यायिक निर्णय और विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय (2024, अप्रैल 26). इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट सत्यापन: 2024 का निर्णय. न्यायिक निर्णय.

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (2025, जून). सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ईसीआई के मतदाता विलोपन घोटाले को किया बेनकाब.

द हिंदू (2024, अप्रैल 26). ईवीएम-वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मतपत्रों की बहाली की याचिका खारिज. वीडियो डिस्कशन.

वेब संसाधन और लेख

भारत निर्वाचन आयोग. व्यय निगरानी प्रणाली: एक अवलोकन. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025

भारत निर्वाचन आयोग. आदर्श आचार संहिता: इतिहास और संरचना. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025

दृष्टि आईएस. राजनीतिक दल को अपंजीकृत करने की ईसीआई की शक्ति. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025

ACE Project- भारत में चुनाव लागत: अपारदर्शिता और बेहिसाब धन. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025

TSS Review- भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियाँ और सुझाव. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025

SDPI- मतदाता सूची की शुद्धता और ईसीआई की भूमिका. प्राप्ति तिथि 26 दिसम्बर, 2025